फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुरेश कुमार पिता बंशीलाल सेठिया निवासी सिंहपुर, तहसील कपासन

बनाम

रतनलाल पिता प्रभूलाल माली निवासी माली मौहल्ला, सिंहपुर, तहसील कपासन वगैरा

कार्यवाहीः–अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

प्रकरण संख्या 181/2022 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगराकार का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 10.07.2017 न्याय नियम एवं अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा नियम 157 (1) के अन्तर्गत जारी किया है जो प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है क्योंकि इसके लिए मौके पर कच्चा या पक्का मकान निर्माण होना आवश्यक है। गैर निगराकार संख्या 1 को जिस भूखण्ड का पट्टा दिया है उस पर 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा गैर निगराकार संख्या 1 का नहीं है और बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। गैर निगराकार संख्या 2 ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्धेश्य से यह पट्टा अवैधानिक रूप से जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 10.07.2017 निरस्त फरमावें। विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को उसके पुराने कब्जे के आधार पर नियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 1 का उक्त भूखण्ड पर उसके पिता के समय से ही पुराना कब्जा था जिस पर बहुत ही पुराना मकान/कमरा बना होकर जो कि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होकर उसे ध्वस्त कर उक्त स्थान पर पुरानी लकडी की केबिन (गुमटी) थी और वर्तमान में भी 25 वर्षों से लोहे की केबिन पडी होकर उक्त स्थान पर गैर निगराकार संख्या 1 सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है पुराना कमरा होने के साक्ष्य स्वरूप आज भी मिट्टी का पुराना चबुतरा, पुरानी लकडी के केबिन एवं लोहे के केबिन के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत है। निगराकार द्वारा गैर निगराकार	.....लगातार

	संख्या 1 को नाजायज परेशान कर उसके कब्जे के भूखण्ड को हडपने की नियत से यह गलत निगरानी प्रस्तुत की है तथा इसी पट्टे संबंधी वाद उभय पक्षों के मध्य सिविल न्यायाधीश कपासन मे विचाराधीन होकर लम्बित है। अतः सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से निगरानी में कार्यवाही खारिज फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकार ने, गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिंहपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध निगरानी पेश की है। विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 के द्वारा पत्रावली में पेश किए गए दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि उभय पक्ष के मध्य उक्त विवाद्य–विषय/पट्टे से संबंधित वाद जिसके प्रकरण संख्या, मु0 दी0 संख्या 11/2023 सुरेश बनाम रतनलाल व अन्य एवं ई. दी. संख्या 16/2023 सुरेश बनाम रतनलाल व अन्य होकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ में विचाराधीन है। चूंकि इसी विवाद्य–विषय/पट्टे से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ में भी विचाराधीन होने से, उक्त निगरानी में कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 के तहत स्थगित की जाती है।	